न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः— 104 / 2025
निर्णय दिनांकः— 31.07.2025
पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. जगदीश पुत्र नानगा जाति जाट निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर।
2. हरिराम पुत्र नानगा जाति जाट निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. उम्मेद पुत्र बोदू
2. गिर्राज पुत्र बोदू
3. बहादुर पुत्र बोदू
4. रामदयाल पुत्र बोदू
   समस्त जाति जाट निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर।
5. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः— श्री नेतराम चौधरी अधिवक्ता वादीगण
श्री शिवराज चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण
वाद घोषणा व अभिधृतियों का विनिमय

निर्णय दिनांकः— 31.07.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि खाता संख्या 52 के आराजी खसरा नम्बर 303, 304, 306, 307, 310, 311, 321, 322, 345/1 कुल किता 09 कुल रकबा 1.5680 हैक्टेयर व खाता संख्या 65 खसरा नम्बर 1082/298, 302, 305 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2899 भूमि हैक्टेयर वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी मे स्थित है। जिसके वादीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्तकार होकर लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे है। खाता संख्या 198 के खसरा नम्बर 348, 349, 352, 353, 354, 355, 356, 357,

उपखण्ड अधिकारी फागी

वादीगण एक मात्र खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्तकार होकर लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे है

360 361 कुल किता 10 कुल रकबा 2.9085 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी मे स्थित है। जिसके प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 एक मात्र खातेदार काश्तकार एवं काबिज काश्तकार होकर लगान सरकारी जमा कराते चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण पूर्व में एक ही खानदान के व्यक्ति रहे है जिनके पूर्वजों की विरासत के आधार पर वाद–पत्र की मद नम्बर 01 व 02 में वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम अन्य आराजीयात सहित आयी हुई है। उवत आराजियात के अलावा अन्य आराजीयात की भूमि एक स्थान पर न होकर अलग – अलग स्थान पर स्थित है, जिसके कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त हेतु इधर से उधर आना–जाना पडता है, जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बाहजोत, फसल काटने, निराई गुडाई आदि में काफी अमूल्य समय जाया हो जाता है। कई बार समय पर जोत निकालने से वंचित रह जाते है तथा अन्य फसल कटाई आदि कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते फलस्वरूप वादीगण एवं प्रतिवागण को भारी नुकसान उठाना पडता है, तथा भूमि अलग–अलग जगह पर होने के कारण विकास कार्य भी नहीं कर पाते है। राज्य सकार द्वारा जारी कृषि विकास एवं किसान समृद्धि योजनाओं जिनके द्वारा किसानों को आर्थिक रूप से सम्बल मिल सके तथा किसान कृषि कार्य से अधिंक से अधिक उपज प्राप्त कर सके एवं कृषि द्वारा राष्ट्र को अधिक से अधिक योगदान दें सके। वादीगण एवं प्रतिवादीगण राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के द्वारा जारी योजनाओं से भी वंचित रह जाते है तथा अपना योगदान राज्य सरकार व केन्द्र सरकार को नहीं दे पाते है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि वर्णित मद नम्बर 01 व 02 वाद – पत्र अनुसार की किस्म भी एक समान है, जिसमें राजस्थान टीनेन्सी एक्ट प्रावधाननुसार विनियम किये जाने में कोई बाधा नहीं है विनिमयन हेतु वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहमत है तथा भूमि विनिमय किये जाने पर राज्य सरकार को कोई स्टाम्प ड्यूटी आदि का नुकसान कारित नहीं होता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड की भूमि का विनमय करने हेतु सहमत है, जिस हेतु मान्य न्यायालय के समक्ष अपनी सहमति हेतु सहमति – पत्र प्रस्तुत करने एवं अन्य अधिरोपित आदेशों की पालना हेतु तत्पर है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
फागी

द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत घोषणा एवं अभिधृत्तियों का विनियम पत्र का बाद गतवर्ष क्षैत्र में भूमि वर्षा होने के कारण क्षैत्र में बोई हुई फसलों से भारी नुकसान कारित होने जिससे कोई बचाव राज्य एवं केन्द्र सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ नहीं लिये जाने पर वादीगण को उक्त वाद प्रस्तुत करना लाजिम आया । वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री फरमाया जाता है, तो प्रतिवादीगण को कोई नुकसान कारित नहीं होगा बल्कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एवं राज्य सरकार की योजनाएं सफल होगी तथा वादीगण राज्य सरकार को अपनी कृषि समृद्धि से अधिक से अधिक अन्न व खाधान्न उत्पादन कर सकेगे। वादीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि के विनियम हेतु दिनांक 5/07/2025 को प्रार्थना–पत्र श्रीमान तहसीलदार फागी के यहां प्रस्तुत किया जिन्होंने वादीगण को इस बाबत कार्यवाही सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु कहा इसलिए उक्त वाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजिम आया । वादीगण को वाद कारण दिनांक 30.06.2025 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 05 तहसीलदार फागी के यह अपनी भूमि का विनिमय किये जाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जिसे तहसीलदार फागी द्वारा ग्रहण करने से इंकार कर सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा तब से वाद कारण उत्पन्न होकर कर निरन्तर जारी है। वादीगण वाद उत्पन्न होने वाद कारण से अन्दर मियाद श्रीमान न्याय्यालय के समक्ष प्रस्तुत है विवादग्रस्त आराजी एवं पक्षकारान् का निवास स्थान मान्य न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने कारण वादीगण के वाद की सुनवाई व निस्तारण का सम्पूर्ण क्षेत्राधिकार श्रीमान् को प्राप्त है।

2. दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं0 1 की और से अधिवक्ता श्री शिवराज चौधरी मय असालतन वकालतनामा उपस्थित आये।

3. वादीगण व प्रतिवादीगण स्वंय हाजिर अदालत आये तथा राजीनामा पेश किया। राजीनामा वाद तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारान ने अपने राजीनामा मे बताया की वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादी सं0 1 से 4 अभिधृतियों के विनिमय की डिक्री इस अमर की जावे की वादीगण वाद पत्र के मद नं0 2 में वर्णित आराजीयात के एवं प्रतिवादी सं0 1/4 वाद पत्र में वर्णित मद नं0

उपखण्ड अधिकारी
फागी

1 में वर्णित आराजीयात के बरूये राजीनामा आपस मे सहमति अनुसार विनिमय अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तो पक्षकारान को कोई उज्र व ऐतराज नही है।

4. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादीगण का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

5. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

6. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद घोषणा व अभिधृतियों का विनिमय का प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074 – 2077 वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान के खाता सं0 52 व 65 मे वादीगण 1/2 – 1/2 हिस्सेनुसार व मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074 – 2077 वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान के खाता सं0 198 मे प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4, 1/4 – 1/4 हिस्सेनुसार रिकार्डेड खातेदार है। वादीगण व प्रतिवादीगण नें स्वंय हाजिर अदालत होकर राजीनामा पेश कर वादीगण का वाद डिक्री किये जाने पर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नही की है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर खाता संख्या 52 के आराजी खसरा नम्बर 303, 304, 306, 307, 310, 311, 321, 322, 345/1 कुल किता 09 कुल रकबा 1.5680 हैक्टेयर व खाता संख्या 65 खसरा नम्बर 1082/298, 302, 305 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2899 भूमि हैक्टेयर वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी मे स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन वादीगण के स्थान पर प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 को 1/4 – 1/4 हिस्से का तथा खाता संख्या 198 के खसरा नम्बर 348, 349,

उपखण्ड अधिकारी
फागी

352, 353, 354, 355, 356, 357, 361 कुल किता 09 कुल भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी मे स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण को 1/2 – 1/2 हिस्से का एवं ख0न0 360 रकबा 0.1897 है0 भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान मे स्थित आराजीयात मे वादीगण 3/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 को 1/4 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला-जयपुर

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

जगदीश पुत्र नानगा जाति जाट निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर।
हरिराम पुत्र नानगा जाति जाट निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर।

बनाम

उम्मेद पुत्र बोदू
गिर्राज पुत्र बोदू
बहादुर पुत्र बोदू
रामदयाल पुत्र बोदू
समस्त जाति जाट निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर।
तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

::– वाद घोषणा व अभिधृतियों का विनिमय ::–

मु0न0:– 104/2025 दावा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादीगण श्री नेतराम चौधरी हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादी श्री शिवराज चौधरी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाकर खाता संख्या 52 के आराजी खसरा नम्बर 303, 304, 306, 307, 310, 311, 321, 322, 345/1 कुल किता 09 कुल रकबा 1.5680 हैक्टेयर व खाता संख्या 65 खसरा नम्बर 1082/298, 302, 305 कुल किता 03 कुल रकबा 1.2899 भूमि हैक्टेयर वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी मे स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अंकन वादीगण के स्थान पर प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 को 1/4 – 1/4 हिस्से का तथा खाता संख्या 198 के खसरा नम्बर 348, 349, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 361 कुल किता 09 कुल भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी मे स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण को 1/2 – 1/2 हिस्से का एवं ख0न0 360 रकबा 0.1897 है0 भूमि वाके ग्राम मोहनपुरा राजावतान मे स्थित आराजीयात मे वादीगण 3/4 हिस्से का तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 को 1/4 हिस्से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष जमाबन्दी बदस्तुर रहेगी।

निज.....X.....मुबलिग.....X.....बाबत.....✓.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद वशरह .....✓.....फीसदी.....X.....सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.07.2025 को जारी की गई।

दस्तखत.....
ओहदा.....

मुहर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर